10/6/25

पत्रा. पेश श्री वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को न्यायालय हाजिर होने हेतु बार-2 आवाज लगवाई गई तदुपरांत न्यायालय में हाजिर नहीं हुये। चूंकि दावा वाली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रा. फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:53:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner